

#13 प्रस्तावित टू चाइल्ड लॉ

यह प्रस्तावित क़ानून दो से अधिक संतान रखने वाले नागरिकों पर कुछ दंडात्मक प्रावधान लगाता है। परन्तु जिन अभिभावकों के 1 या 2 या 3 पुत्रियाँ हैं किन्तु कोई भी पुत्र नहीं है, उन्हें इस क़ानून के अनुसार कुछ अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेंगे, एवं उन्हें किसी आर्थिक दंड का सामना भी नहीं करना होगा। किन्तु यदि किसी व्यक्ति के 2 पुत्र या एक पुत्री एक पुत्र है और फिर भी वे एक संतान और पैदा करते हैं तो उन्हें कुछ आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। यह क़ानून भारत में जनसँख्या के लगातार बिगड़ रहे धार्मिक संतुलन में भी सुधार लायेगा। इस क़ानून को धन विधेयक के रूप में लोकसभा से साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इस क़ानून को राज्यसभा से पास करने की ज़रूरत नहीं है। यह क़ानून भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उलंघन नहीं करता, अतः इसके लिए किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन की भी ज़रूरत नहीं है। इस क़ानून के मुख्य बिंदु निचे तालिका में दिए गए हैं। पूरा क़ानून ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – Tinyurl.com/TwoChildLaw

#	पुत्रों एवं पुत्रियों की संख्या	खनिज रॉयल्टी में बढ़ोतरी	खनिज रॉयल्टी में कटौती	जुर्माना : आय के अनुपात में	कारावास	जुर्माना : क़ानून आने के 5 वर्ष बाद	कारावास : क़ानून आने के 5 वर्ष बाद
1.	निसंतान/ संतान की आयु 23 वर्ष से कम	33%	-	-	-	-	-
1a	निसंतान/ संतान की आयु 23 से अधिक	-	-	-	-	-	-
2	S (Son)	-	-	-	-	-	-
3	D,DD, DDD	33 %	-	-	-	-	-
4	DDDD	66 %	-	-	-	-	-
5	SS, SD, DS, DDS, DDDS, DDDDS, DDDDD	-	-	-	-	-	-
6	बिंदु 5 से एक संतान अधिक होने पर	-	33%	-	-	-	-
7	बिंदु 6 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	-	-	10%	20 वर्ष तक मताधिकार रद्द
8	बिंदु 7 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	10%	-	10%	2 वर्ष
9	बिंदु 8 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	10%	2 वर्ष	10%	2 वर्ष अतिरिक्त, नसबंदी
10	बिंदु 9 से एक संतान अधिक होने पर	-	66%	10%	2 वर्ष अतिरिक्त, नसबंदी	10%	बिंदु 9 के समान